रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 13] नई दिल्ली, मार्च 24—मार्च 30, 2013, शनिवार/चैत्र 3—चैत्र 9, 1935
No. 13] NEW DELHI, MARCH 24—MARCH 30, 2013, SATURDAY/CHAITRA 3—CHAITRA 9, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(स्थापना I अनुभाग)

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2013

सा.का.नि. 74.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल-भूतल परिवहन मंत्रालय, परिवहन अनुसंधान प्रभाग (परिवहन पक्ष) (कनिष्ठ अन्वेषक और संगणक) भर्ती नियम, 1987 को जहां तक उनका संबंध संगणक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने के लिए लोप किया गया है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के परिवहन अनुसंधान पक्ष में संगणक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन अनुसंधान पक्ष (संगणक) भर्ती नियम, 2013 है ।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करते हुए इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
संगणक	2* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं	18 और 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है) **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विषय के रूप में गणित अथवा सांख्यिकी अथवा अर्थशास्त्र में डिग्री । **टिप्पण** : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।	नहीं	केवल सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती **टिप्पण** : प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी पर या अध्ययन अवकाश पर या अन्य परिस्थितियों के अंतर्गत एक वर्ष तक अथवा एक वर्ष से अधिक अवधि तक पदधारी द्वारा पद पर न रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जाएं । (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2000 रु. के ग्रेड या समतुल्य में 5 वर्ष या वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. के ग्रेड या समतुल्य में 8 वर्ष की नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 7 में विहित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव है, (प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को '56 वर्ष से अधिक नहीं' होगी । **टिप्पण** : प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006, वह तारीख जिसे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन ढांचा विस्तारित किया गया है, से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाए वहां के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान को एक समान ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में समामेलन किया गया है और जहां यह फायदा केवल उसी पद (उन पदों) के लिए विस्तारित किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विषय के रूप में गणित अथवा सांख्यिकी अथवा अर्थशास्त्र में डिग्री । **टिप्पण :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।	नहीं	केवल सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती **टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी पर या अध्ययन अवकाश पर या अन्य परिस्थितियों के अंतर्गत एक वर्ष तक अथवा एक वर्ष से अधिक अवधि तक पदधारी द्वारा पद पर न रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जाएं । (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2000 रु. के ग्रेड या समतुल्य में 5 वर्ष या वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. के ग्रेड या समतुल्य में 8 वर्ष की नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 7 में विहित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव है, (प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को '56 वर्ष से अधिक नहीं' होगी । **टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006, वह तारीख जिसे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन ढांचा विस्तारित किया गया है, से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाए वहां के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान को एक समान ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में समामेलन किया गया है और जहां यह फायदा केवल उसी पद (उन पदों) के लिए विस्तारित किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति 1. निदेशक/उप सचिव (स्थापना) —अध्यक्ष 2. निदेशक/संयुक्त निदेशक (टीआर) —सदस्य 3. अवर सचिव (साधारण) —सदस्य 4. अवर सचिव (स्थापना) —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए-12018/4/2011-ई-I]

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(ESTABLISHMENT I SECTION)

New Delhi, the 20th March, 2013

G.S.R. 74.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Surface Transport, Transport Research Division (Transport Wing)(Junior Investigator and Computer) Recruitment Rules, 1987, in so far as they relate to the post of Computer except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Computer in the Transport Research Wing of the Ministry of Road Transport and Highways, namely:—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Ministry of Road Transport and Highways, Transport Research Wing (Computer) Recruitment Rules, 2013.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Posts, Classification and Scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-serviceman and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)		(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति		लागू नहीं होता ।
1. निदेशक/उप सचिव (स्थापना)	—अध्यक्ष	
2. निदेशक/संयुक्त निदेशक (टीआर)	—सदस्य	
3. अवर सचिव (साधारण)	—सदस्य	
4. अवर सचिव (स्थापना)	—सदस्य	

[फा. सं. ए-12018/4/2011-ई-I]

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(ESTABLISHMENT I SECTION)

New Delhi, the 20th March, 2013

G.S.R. 74.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Surface Transport, Transport Research Division (Transport Wing)(Junior Investigator and Computer) Recruitment Rules, 1987, in so far as they relate to the post of Computer except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Computer in the Transport Research Wing of the Ministry of Road Transport and Highways, namely:—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Ministry of Road Transport and Highways, Transport Research Wing (Computer) Recruitment Rules, 2013.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Posts, Classification and Scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-serviceman and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Computer	2* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Ministerial	Pay Band-1 : Rs. 5200—20200 plus Grade Pay Rs. 2400	Not applicable	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government in this regard from time to time). **Note** : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Degree with Mathematics or Statistics or Economics as a subject from any recognized University. **Note** : Qualification are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified.	No	Two years for direct recruits only

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
Direct recruitment : **Note :** "Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 5 years' regular service in posts in 'PB-1: Rs. 5200—20200 plus Grade Pay Rs. 2000 or equivalent or with 8 years' regular service in posts in PB-1: Rs. 5200—20200 plus Grade Pay Rs. 1900 or equivalent; and (b) Possessing the Educational Qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7), (Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The Maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'Not Exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of application.) **Note :** For the purpose of computing minimum qualifying service for purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee :— 1. Director/Dy. Secretary (Estt.) —Chairman 2. Director/Joint Director (TR) —Member 3. Under Secretary (General) —Member 4. Under Secretary (Estt.) —Member	Not applicable.

[F. No. A-12018/4/2011-E.-I]

H. R. MEENA, Under Secy.